



S.O.
AS
19/06/26
AO

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया (म.प्र.)

क्रमांक :- 291/2026

दतिया, दिनांक:-19/06/2026

// आदेश //

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 व 13 के अंतर्गत दांडिक कार्य विभाजन)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दतिया जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य संपादन हेतु पूर्व से जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्यविभाजन आदेश पारित किया जाता है जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दतिया के अनुमोदन उपरांत दिनांक 19.06.2026 से प्रभावी होगा।

क.	न्यायिक अधिकारी/मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	सतीश वसुनिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया	1. आरक्षी केन्द्र क. कोतवाली, दतिया ख. सिविल लाइन ग. उनाव घ. यातायात एवं आर.टी.ओ. इ. आबकारी वृत्त दतिया च. नगर पालिका दतिया 2 तहसील दतिया क्षेत्र	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त (आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाइन, उनाव के परिवाद संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। क. तहसील न्यायालय दतिया के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। ख. तेजाब फेंकने या जलने से उद्भूत दांडिक प्रकरण। ग. संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों के खारिजी (ई.आर.) प्रतिवेदन। घ. सिनेमाटोग्राफ एक्ट। इ. ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट। च. पौल्यूशन कंट्रोल एण्ड एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के मामले पशुओं से संबंधित अधिनियम। ज. केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1989। झ. अन्य ऐसे सभी अधिनियमों के प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।

		3. संपूर्ण तहसील दतिया क्षेत्र 3. अन्य	ब. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड की राशि जे.एम.एफ.सी. के अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक हो। क. वन विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। ख. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर) ग. दतिया तहसील के दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल संबंधित प्रकरण। घ. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण। क. आरक्षी केंद्र कोतवाली के स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवाद।
2	श्री देवेश मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	1. <u>आरक्षी केन्द्र</u> क. <u>गोरघाट</u> ख. <u>चिरुला</u> 2. संपूर्ण तहसील क्षेत्र दतिया 3. अन्य	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। ग. <u>(महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर)</u> आरक्षी केन्द्र कोतवाली, बसई, बड़ौनी, सिविल लाइन द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। घ. खान एवं खनिज व खनन कानून से संबंधित आपराधिक प्रकरण क. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अधीन राजस्व तहसील दतिया के अंतर्गत जनपद पंचायत के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्र एवं उसके अंतर्गत आने वाले ग्रामों से संबंधित अभियोग पत्र। ख. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। <u>(माह दिसम्बर 2026 से आगामी आदेश जारी होने तक)</u> ग. एनडीपीएस अधिनियम के लघु मात्रा वाले मजिस्ट्रेट ट्रयाल योग्य प्रकरण। क. आरक्षी केंद्र गोरघाट, चिरुला, सिविल लाइन के स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवाद।
3	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	1. <u>आरक्षी केन्द्र</u> क. <u>दुरसड़ा</u> ख. <u>महिला थाना</u>	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक

		2. संपूर्ण तहसील क्षेत्र दतिया	कार्यवाहियां। ख. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। क. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं 2006 के संबंध में उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय के संज्ञान योग्य प्रकरणों को छोड़कर) समस्त प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त अपराधिक प्रकरण। ग. बाल विवाह से संबंधित परिवार एवं उससे उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण। घ. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। <u>(माह अगस्त से सितम्बर 2026 तक)</u> क. आरक्षी केंद्र <u>दुरसड़ा, महिला थाना, उनाव</u> के स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवार। ख. जिला दतिया के किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उद्भूत आनुशांगिक कार्यवाहियां।
4	श्री विजिताश्व पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	1. <u>आरक्षी केन्द्र</u> क. <u>बड़ौनी</u> ख. <u>जिगना</u> 2. संपूर्ण तहसील क्षेत्र दतिया 3. अन्य	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। ग. <u>(महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर)</u> आरक्षी केन्द्र <u>सिनावल, दुरसड़ा, विरुला</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/ धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। क. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। <u>(माह जून से जुलाई 2026 तक)</u> क. आरक्षी केंद्र <u>जिगना, बड़ौनी</u> की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवार
	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	1. <u>आरक्षी केन्द्र</u> क. <u>सिनावल</u>	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवार (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।

		3. अन्य	ख. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। ग. <u>महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचारों (एससी, एसटी एक्ट) से निवारण अधिनियम भी सम्मिलित हैं, में प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण।</u> क. आरक्षी केंद्र <u>सिनावल</u> की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवाद
सुश्री स्वप्निल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	1. आरक्षी केन्द्र क. बसई	1. अन्य	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। ग. (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र <u>जिगना, उनाव, गोरघाट, बड़ौनी, महिला थाना</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। घ. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। <u>(माह अक्टूबर से नवम्बर 2026 तक)</u> इ. तहसील दतिया व बड़ौनी के अन्तर्गत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस तक/धारा 125 से 128 सी. आर.पी.सी. भरण पोषण से संबंधित विविध प्रकरण (माननीय कुटुंब न्यायालय दतिया एवं ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं <u>महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर</u>) क. आरक्षी केंद्र <u>बसई</u> की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य परिवाद।
श्रीमती आरती रतोनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंवढ़ा दतिया	1. आरक्षी केन्द्र क. इन्दरगढ़ ख. धीरपुरा ग. आबकारी वृत्त सेवढ़ा घ. नगर परिषद सेवढ़ा		क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण।

		2. संपूर्ण तहसील सेवदा क्षेत्र	ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। घ. (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र डिरोलीपार, भगुवापुरा एवं सेवदा द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। ङ. सेवदा व इंदरगढ़ तहसील के समस्त थाना क्षेत्रों के धारा 125 दं.प्र.सं. के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले मामले को छोड़कर) प्रस्तुत प्रकरण। क. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर) ख. एनडीपीएस अधिनियम के लघु मात्रा वाले मजिस्ट्रेट ट्रयाल योग्य प्रकरण। ग. खान एवं खनिज व खनन कानून से संबंधित आपराधिक प्रकरण। घ. वन विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। ङ. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण। च. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं 2006 के संबंध में उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय के संज्ञान योग्य प्रकरणों को छोड़कर) समस्त प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। छ. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। ज. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह जून से अगस्त 2026 तक)
6	श्री ध्रुव जाखड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	1. आरक्षी केन्द्र क. सेवदा ख. भगुवापुरा ग. लांच	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। घ. (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र अतरेटा, इन्दरगढ़, थरेट के द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/ धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। क. सेवदा तहसील के दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं

		2. संपूर्ण तहसील सेवदा क्षेत्र	ख. ग.	नापतौल संबंधित प्रकरण। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचारों (एससी,एसटी एक्ट) से निवारण अधिनियम भी सम्मिलित हैं, में प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह सितम्बर से नवम्बर 2026 तक)
श्री शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	1. आरक्षी केन्द्र क. डियेलीपार ख. धरेट ग. अतरैया	2. संपूर्ण तहसील सेवदा क्षेत्र	क. ख. ग. घ. क.	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र धीरपुरा एवं लांच के द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह दिसम्बर से आगामी आदेश जारी होने तक)
श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	1. आरक्षी केन्द्र क. भाण्डेर ख. पण्डोखर ग. आबकारी वृत्त भाण्डेर घ. नगर परिषद भाण्डेर	2.समस्त तहसील भाण्डेर क्षेत्र	क. ख. ग. घ. क. ख.	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र सरसई, गोंदन द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं / धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह जून से अगस्त 2026 तक) खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उद्भुत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)

			ग. वन विभाग से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। घ. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण। इ. एनडीपीएस अधिनियम के लघु मात्रा वाले मजिस्ट्रेट ट्रयाल योग्य प्रकरण।
7	श्रीमती दीक्षा तनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	1. आरक्षी केन्द्र क. सरसई 2. समस्त तहसील भाण्डेर क्षेत्र	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। घ. (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र भाण्डेर द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। क. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 के संबंध में उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय के संज्ञान योग्य प्रकरणों को छोड़कर) समस्त प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान योग्य महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। ग. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह सितम्बर से दिसम्बर 2026 तक)
8	सुश्री शिवांगनी भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	1. आरक्षी केन्द्र क. गोंदन 2. समस्त तहसील भाण्डेर क्षेत्र	क. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। ख. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक मात्रा के म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित प्रकरण। ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा सुपुर्द किये गये प्रकरणों का निराकरण। घ. (महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र पण्डोखर द्वारा प्रस्तुत धारा 183 भानासुसं/धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदनों का निराकरण। क. तहसील भाण्डेर के दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल संबंधित प्रकरण। ख. महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचारों (एससी, एसटी एक्ट) से निवारण अधिनियम भी सम्मिलित है, में प्रस्तुत धारा 183

			भानासुसं/धारा 164 दंप्रसं के आवेदनों का निराकरण। ग. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के समस्त प्रकरण। (माह दिसम्बर 2026 के बाद से आगामी कार्यविभाजन लागू होने तक)
--	--	--	--

स्थाई आदेश

1. इस आदेश के निर्वाहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. अनुलग्न "अ" में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्न "अ" के स्तम्भ क्रमांक-1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं स्तम्भ क्रमांक-1 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी अनुपस्थित रहने की दशा में स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी अनुपस्थित रहने की दशा में स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा। अनुलग्न "अ" में वर्णित कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होने की दशा में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

नोट- किसी न्यायालय के आवश्यक कार्य में निम्नलिखित पद क्रमांक 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।

4. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन आदि संबंधित सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, किंतु ऐसे समरी प्रकरणों की पत्रावली स्वीकारोक्ति पर विचार करने वाले न्यायालय को अपने न्यायालय में ही लेना होगा एवं उनकी अधिरोपित अर्थदण्ड राशि भी उसी न्यायालय में ही विधिवत् जमा होगी।
5. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित आना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हों और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा ऐसे प्रकरण में संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरान्त उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
6. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारंट पर गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोषी होने का अभिवाक् करने का एवं तत्संबंध में सुनवाई में प्रकरण लिये जाने हेतु आवेदन करे किन्तु ऐसे प्रकरण के अभिलेख पश्चात में मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।
07. एन.डी.पी.एस एक्ट, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, पोक्सो एक्ट के मामलों में अवकाश की दशा में प्रथम रिमांड की कार्यवाही, रिमांड इयूटी मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
08. जिला मुख्यालय पर इयूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन दतिया जिले के समस्त थाना क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
09. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड इयूटी में परिवर्तन किया जावेगा। यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड इयूटी परिवर्तन चाहता है, तो अन्य मजिस्ट्रेट जो उनके स्थान पर इयूटी करने को तैयार है, को लिखित सहमति लेकर ही पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करें।
10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन

(एफ. आर.) स्वीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

11. जिला न्यायालय दतिया के रिक्त न्यायालयों का आवश्यक आपराधिक कार्य श्री देवेश मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
12. तहसील सेंवड़ा स्थापना के रिक्त न्यायालयों का आवश्यक आपराधिक कार्य श्रीमती आरती रतोनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंवड़ा द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
13. तहसील भाण्डेर स्थापना के रिक्त न्यायालयों का आवश्यक आपराधिक कार्य श्रीमती दीक्षा तनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
14. पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामलों में- वर्तमान में अस्तित्व में न होने वाले न्यायालयों से संबंधित जो भी कार्यवाही होगी, वह पराक्रम्य लिखित अधिनियम के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगी व उन्हीं के द्वारा निराकृत की जावेगी।
यदि न्यायालय अस्तित्व में है तो ऐसी दशा में पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित कार्यवाही उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगी व उसी न्यायालय द्वारा निराकृत की जावेगी।
15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संपूर्ण जिले के क्षेत्राधिकार में किसी भी समय माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, दतिया को सूचित कर मोबाइल कोर्ट का सम्पादन कर सकेगा तथा जिले के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त कर अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मोबाइल कोर्ट का सम्पादन कर सकेंगे।
16. धारा 183 भानासुस/धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिये अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की स्थिति में कार्य व्यवस्था अनुलग्न 'अ' के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कथन व संस्वीकृति अंकित की जावे। अनुलग्न 'अ' में वर्णित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर सी.जे.एम के अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 164 दंप्रसं के कथन अंकित किये जावेंगे।
17. वर्तमान में तहसील दतिया, सेंवड़ा व भाण्डेर के अंतर्गत धारा 52ए एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत समस्त विविध कार्यवाहियां निम्न तालिका अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित की जावेगी- अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की स्थिति में कार्य व्यवस्था अनुलग्न 'अ' के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित की जावे।

तहसील न्यायालय दतिया	माह जून से जुलाई 2026 तक	माह अगस्त से सितम्बर 2026	माह अक्टूबर से दिसम्बर 2026 तक	माह दिसम्बर 2026 के बाद से आगामी आदेश जारी होने तक
	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. दतिया	श्री विजिताश्व पुष्कर, जे.एम.एफ.सी. दतिया	श्रीमती ज्योति कुवाल, जे.एम.एफ.सी. दतिया	श्रीमती स्वप्निल वर्मा, जे.एम.एफ.सी. दतिया
तहसील न्यायालय सेंवड़ा	माह जून से अगस्त 2026 तक	माह सितम्बर से नवम्बर 2026 तक	माह दिसम्बर से आगामी आदेश जारी होने तक	
	श्रीमती आरती रतोनिया जे.एम.एफ.सी. सेंवड़ा	श्री ध्रुव जाखड़ जे.एम.एफ.सी. सेंवड़ा	श्री शिवम सोनी जे.एम.एफ.सी. सेंवड़ा	
तहसील न्यायालय भाण्डेर	माह जून से अगस्त 2026 तक	माह सितम्बर से नवम्बर 2026 तक	माह दिसम्बर 2026 से आगामी आदेश होने तक	
	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर	श्रीमती दीक्षा तनेजा जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर	सुश्री शिवांगनी जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर	

18. उपरोक्त कार्यविभाजन आदेश नवीन कार्यविभाजन आदेश लागू होने तक प्रभावशील माना जावे।

(सतीश वसुनिया) 19/06/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-दतिया (म.प्र.)

अनुलग्न 'अ'कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया म.प्र.

कमांक-

/20

दतिया, दिनांक:-

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के आवश्यक कार्य प्रभार से संबंधित नवीन रूप से संशोधित एवं परिवर्तित न्यायिक अधिकारियों के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है जो कि दिनांक से प्रभावशील रहेगी।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	स्तंभ कमांक 1	स्तंभ कमांक 2	स्तंभ कमांक 3
1	श्री सतीश वसुनिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया म.प्र.	श्री विजिताश्व पुष्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	श्रीमती ज्योति कुवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया
2	श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	श्री विजिताश्व पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	सुश्री स्वप्निल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
3	श्रीमती संध्या मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	श्री विजिताश्व पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	सुश्री स्वप्निल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
4	श्री विजिताश्व पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	सुश्री स्वप्निल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	श्रीमती संध्या मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया
5	श्रीमती ज्योति कुवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	सुश्री स्वप्निल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्री विजिताश्व पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया
6	सुश्री स्वप्निल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्रीमती संध्या मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया	श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया
8	श्रीमती आरती रतौनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्री ध्रुव जाखड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्री शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा	देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
9	श्री ध्रुव जाखड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्रीमती आरती रतौनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्री शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा	श्रीमती ज्योति कुवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
10	श्री शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्री ध्रुव जाखड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा दतिया	श्रीमती आरती रतौनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवदा	सुश्री श्रीति अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
11	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	सुश्री शिवांगनी भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर (दतिया)	श्रीमती दीक्षा तनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर	श्रीमती ज्योति कुवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.
12	श्रीमती दीक्षा तनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री शिवांगनी भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्रीमती ज्योति कुवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

	श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	भाण्डेर (दतिया)	भाण्डेर	श्रेणी दतिया म.प्र.
13	सुश्री शिवांगनी भट्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाण्डेर (दतिया)	श्रीमती दीक्षा तनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर (दतिया)	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर म.प्र.	श्री विजिताश्व पुष्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया

नोट:- प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी देना अनिवार्य होगा जिससे संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की जानकारी प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को भी रहे।

दिनांक:-

उपरोक्तानुसार अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया म.प्र.

सतीश वसुनिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला- दतिया म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक:-..... /2026

दतिया, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)
2. माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर (म.प्र.)
3. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)।
4. माननीय जिला न्यायाधीश (सर्तकता) ग्वालियर (म.प्र.)।
5. माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया।
6. श्रीमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया/सेवदा/भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.)।
7. प्रस्तुतकार सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)।
8. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ.पी. दतिया, सेवदा, भाण्डेर एवं बड़ौनी जिला दतिया।
9. श्री..... अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया/सेवदा/भाण्डेर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया/सेवदा/ भाण्डेर जिला दतिया।
10. केन्द्रीय दायरा पंजी अनुभाग दतिया/सेवदा/भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.)
11. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया (म.प्र.)।
12. अध्यक्ष/सचिव वार एसोशिएशन दतिया, सेवदा एवं भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित।

सतीश वसुनिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला- दतिया म.प्र.